

डिफ्री व मुकदमे ईवादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-275/2018

1. दिनेश पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
2. राजेश पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
3. रोशनी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
4. मन्जू पुत्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्तु इन्फिक्शन कन्ट्रोल रोबरु हमारे वहाजरी श्री बनवारी लाल गौड़ अधिवक्ता वादी मिन जागिन मुदई श्री कसम कासनियां, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिफ्री दी जाती है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 9 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 43 में दर्ज कुल 3.551 है. आराजी के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार कायतकार घोषित किया जाता है व चक नं.9 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 43 में से प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में बहिब अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित सुरक्षित रखते हुवे उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निजनिल मुब्लिक निल वावत निल खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक 3.8.2018 अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 3.8.2018 को जारी किया गया।



(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी